गैर-जनतांत्रिक प्रतिपूरक वनीकरण कोष कानून(कैम्पा) के आलोक में वनाधिकार की रक्षा कैसे करें!

प्रतिपूरक वनीकरण और नया कैम्पा कानून

भारत में "विकास" के नाम पर क़ानूनी तौर पर जंगलों की कटाई संगठित ढंग से चलती रही है. वनाधिकार कानून के मुताबिक़ जिन जंगलों पर आदिवासियों और अन्य वनवासियों का कुदरती हक़ है उन्हें उनकी रजामंदी के बगैर और उनके हकों का लिहाज किए बगैर कार्पोरेट व्यवसायी घरानों को सौंप दिया जाता है.

प्रतिपूरक वनीकरण एक वैधानिक प्रक्रिया है जिसके जरिए इस बात की गारंटी की जाती है कि खनन, उद्योग या बुनियादी ढांच के निर्माण से जंगलों के नुकसान की भरपाई की जा सके इसके लिए जंगल के बाहर सामुदायिक या निजी भूमि पर पौधे लगाए जाते हैं या उजड़े जंगलों को फिर से वृक्षारोपण के जरिए बसाया जाता है इसके लिए सरकार जंगल क्षेत्र का दूसरे काम के लिए इस्तेमाल करनेवाली कंपनियों और सरकारी विभागों से प्रतिपूरक वनीकरण की कीमत के साथ-साथ ऐसे परिवर्तित भूखंड के शुद्ध वर्तमान मूल्य और कई तरह के करों की भी वसूली करती है

इस तरह से उगाही गई राशि, जो आज लगभग 42,000 करोड़ रुपए है, को ही नए प्रतिपूरक वनीकरण कानून के तहत प्रतिपूरक वनीकरण कोष का नाम दे दिया गया है. नए कानून के तहत यह राशि वन विभाग के नौकरशाहों को दे दी जाएगी. नतीजा यह होगा कि जंगलों और वनवासी समुदायों के जीवन पर इन नौकरशाहों की पकड़ और मजबूत हो जाएगी. इस तरह से प्रतिपूरक वनीकरण की पूरी प्रक्रिया वनाधिकार कानून का खुला उल्लंघन है और वनवासी समुदायों के विस्थापन-पलायन को ही बढ़ावा देगी. देखा गया है कि प्रतिपूरक वनीकरण कोष का इस्तेमाल अक्सर प्रतिपूरक वनीकरण और वन-वन्यजीव संरक्षण के नाम पर समुदाय की जमीन को भी हड़प लेने के लिए किया जाता है

केंद्र सरकार 2017 के अंत तक कैम्पा कानून की नियमावली तय करना चाहती है ताकि कोष का सुचारू इस्तेमाल हो सके. वन विभाग इस कोष का इस्तेमाल वृक्षारोपण, वन संवर्धन, वन प्रबंधन, संरक्षण, बुनियादी ढाँचे खड़ा करने, उनके रख-रखाव और ऐसी ही दूसरी गतिविधियों के लिए करेगा.

ओडिशा, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों में वृक्षारोपण के लिए आदिवासियों और वनवासी समुदायों की सामुदायिक या अर्जित भूमि की पहचान हो चुकी हैवन विभाग ने कई जगहों पर तिजारती या विदेशी मूल के पेड़-पौधे लगाए हैं और उनकी घेराबंदी कर लघु वनोपजों तक परंपरागत पहुँचपर रोक लगा दी है. वनाधिकार कानून के प्रावधानों का खुला उल्लंघन करते हुए इनके लिए ग्राम सभा से रजामंदी नहीं ली गई बल्कि उन्हें इस बारे में बताया भी नहीं गया. जंगल प्रशासन के जनतांत्रिक तौस्तरीकों को ताक पर रखते हुए इन योजनाओं को संयुक्त वन प्रबंधन कमिटियों, वन सुरक्षा समितियों आदि के जरिए अमल में लाया जा रहा है.

इस तरह इस बात के भरपूर संकेत मिल रहे हैं कि नया प्रतिपूरक वनीकरण कानून वनाधिकार कानून और पेसा जैसे कानूनों की अनदेखी को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देगा क्योंकि ये कानून जंगलों के रखरखाव की जिम्मेदारी वन विभाग के बदले ग्रामसभा को देते हैं. इस तरह से रहे-सहे वनाधिकारों की घोर उपेक्षा होगी, उनका खुला उल्लंघन होगा.

प्रतिपूरक वनीकरण कानून क्या है?

बाँध, खनन, रक्षा, सिंचाई, राजमार्गों के निर्माण जैसी विकास परियोजनाओं के लिए जंगलों की कटाई औपनिवेशिक काल से ही अबाध रूप से होती रही है. इस प्रक्रिया में वनवासियों के अधिकारों को हमेशा ही नजरअंदाज किया गया है. आजादी के बाद जंगलों की कटाई का यह सिलसिला और तेज होता गया. वर्ष 1980 में वनों के संरक्षण के मकसद से वन संरक्षण कानून बनाया गया जिससे कि वन भूमि का गैर वानिकी कामों के लिए इस्तेमाल को नियमित किया जा सके और उस पर लगाम लगाई जा सके. खैर, यह सिलसिला रुका नहीं और गैर-वानिकी गतिविधियों के लिए वन-भूमि का इस्तेमाल वन-संरक्षण कानून के तहत भी तेजी से जारी रहा. वर्ष 2002 में सर्वोच्च न्यायालय ने एक अलग कोष बनाने का आदेश दिया जिसमें उपभोक्ता एजेंसियों से प्रतिपूरक वनीकरण, अतिरिक्त प्रतिपूरक वनीकरण और दंडात्मक प्रतिपूरक वनीकरण के नाम पर उगाहे गए पैसे को जमा किया जाएगा. वर्ष 2006 में कोर्ट के एक अन्य फैसले से वनों के मूल्य की अवधारणा सामने आई. कोर्ट ने आदेश दिया कि पर्यावरण एवं वन मत्रालय से वैधानिक अनुमति के लिए आवेदन करने वाली एजेंसियों को वन-भूमि के ग़ैर-वानिकी कार्यों के लिए इस्तेमाल के एवज में जंगल के शुद्ध वर्तमान मूल्य अदा करना होगा, जो प्रतिपूरक वनीकरण के लिए दी जाने वाली राशि से अलग होगा. किसी जंगल का शुद्ध वर्तमान मूल्य में उस जंगल की समस्त पारिस्थितिकी सेवाओं का योग शामिल है. कंचन चोपड़ा कमिटी ने यह मूल्य 4.38 लाख-10.43 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर तय किया था. कमिटी ने यह भी सुझाया था कि प्रतिपूरक वनीकरण के लिए जमा की जाने वाली राशि का बड़ा हिस्सा पंचायतों को दिया जाना चाहिए और बाकी का हिस्सा केंद्र और राज्य के बीच बाँट दिया जाए.

शुद्ध वर्तमान मूल्य की सबसे बड़ी कमी यह है कि इसमें वनवासी समुदायों के वनाधिकारों की ऐतिहासिक वंचन को ध्यान में नहीं रखा जाता. दरअसल, वन पारिस्थिकी के साथ उनके रिश्ते को पैसे में नहीं आँका जा सकता. जंगल का मौद्रिक मूल्य निर्धारित करने और तथाकथित प्रतिपूरक वनीकरण की अवधारणा इस बात को नजरअंदाज करती है कि कुदरती जंगल व्यवस्था को पारिस्थितिकी और सांस्कृतिक तौर पर फिर से नहीं बनाया जा सकता. एक बार जब जंगल कट जाता है उसे पैसे या वृक्षारोपण के जरिए नहीं बसाया जा सकता.

वर्ष 2016 में पारित प्रतिपूरक वनीकरण कानून प्रतिपूरक वनीकरण कोष के प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्राधिकार के गठन का प्रस्ताव करता है. यह वनाधिकार कानून के तहत ग्रामसभा को दिए गए अधिकारों का खुला उल्लंघन है क्योंकि यह उन्हें प्रतिपूरक वनीकरण कोष

संबंधी निर्णय और अमल की प्रक्रिया से पूरी तरह बाहर कर देता है

विभिन्न केंद्रीय मंत्रालय और राज्य सरकारें जलवायु परिवर्तन सामुदायिक विकास और वन संरक्षण के लिए तरह-तरह के कार्यक्रम बना रही हैं. मसलन, ग्रीन इंडिया मिशन और ओडिशा का आमा जंगल योजना. इन सबके लिए प्रतिपूरक वनीकरण कोष से धन उपलब्ध कराया जा रहा है. वन विभाग द्वारा निर्मित और नियंत्रित वन संरक्षा समिति इको-डेवलपमेंट कमिटी जैसे संयुक्त वनप्रबंधन संस्थाओं के जरिए प्रतिपूरक वनीकरण की राशि का इस्तेमाल विभिन्न गतिविधियों के लिए किया जा रहा है. हालाँकि 2006 में वनाधिकार कानून पारित होने के बाद ये संस्थाएँ कानूनसम्मत नहीं रह गई हैं.

समुदायों पर असर

प्रतिपूरक वनीकरण कोष कानून वन महकमे के हाथों गैरकानूनी हथियार के समान है. इसके जरिए --

- वनवासी समुदायों को उनके वनाधिकार से वंचित किया जा रहा है.
- वनाधिकार कानून के तहत स्वीकृत वनाधिकारों का खुला उल्लंघन हो रहा है
- ग्रामसभाओं के अधिकारों की अनदेखी की जा रही है जिन पर वनों के संरक्षण और संवर्धन की जिम्मेदारी है
- उन जंगलों से वनवासी समुदायों को अपनी जमीन से बेदखल किया जा रहा है जिन पर उनका अधिकार है और वृक्षारोपण के नाम पर भूमि के इस्तेमाल के स्वरूप को बदला जा रहा है
- जिस सामुदायिक जमीन को वनवासी समुदाय परंपरागत रूप से अपनी आजीविका के लिए इस्तेमाल करते रहे हैं उस पर भी वन विभाग कब्जा करता जा रहा है.
- वनाधिकार कानून के लाभों से वनवासी समुदायों को वंचित किया जा रहा है और इस प्रकार सदियों से जारी ऐतिहासिक अन्याय को प्रश्रय दिया जा रहा है.
- प्रतिपूरक वनीकरण कोष में पैसा देकर वन-भूमि के गैर-वानिकी इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जा रहा है.
- टीक, बबूल, यूकेलिप्टस जैसे तिजारती वृक्षों को बड़े पैमाने पर बढ़ावा दिया जा रहा है इसके लिए वन-भूमि के साथ ही साथ निजी और सामुदायिक जमीनों को भी हड़पा जा रहा है.
- जंगलों की अंधाधुंध कटाई और बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण से पारिस्थितिकी खतरे में पड़ जाएगी जिसका उल्टा असर जैवविविधता, उर्वरता और मिट्टी के स्वभाव पर पड़ेगा और पानी की कील्लत बढ़ेगी.
- जंगलों से फल, कंद-मूल और अन्य वनोपज जो वनवासी समुदायों के भोजन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और कुपोषण और भुखमरी की रोकथाम में मदद करते हैं उन तक पहुँच बाधित होने से उनके खान-पान पर संकट गहराया है.

- इमारती लकड़ी के अलावा अन्य वनेपजों के नष्ट हो जाने या उन तक पहुँच के बाधित होने से वनवासियों की आजीविका खतरे में पड़ गई है.

- इसका सबसे ज्यादा असर औरतों पर पड़ा है क्योंकि वन से मिलने वाले भोज्य पदार्थों, उपचारी पौधों, बीजों, पत्तियों को वे ही जमा करती हैं.

- बाघ परियोजनाओं और अन्य संरक्षित इलाकों से लोगों को विस्थापित कर दूसरी जगहों पर बसाया जा रहा है जो कि 2006 के वन्यजीव संरक्षण कानून के भी खिलाफ है

- वनवासी समुदाय परंपरागत रूप से वनों का संरक्षण और रख-रखाव करते रहे हैं, उनसे उनके यह हक छीना जा रहा है.

हमारी माँग क्या है?

1) प्रतिपूरक वनीकरण कोष कानून को वापस लिया जाए और प्रतिपूरक वनीकरण कोष का सारा पैसा वनाधिकार कानून के तहत गठित ग्रामसभाओं को सौंप दिया जाए

2) प्रतिपूरक वनीकरण कोष से शुरू होने वाले हर गतिविधि के लिए ग्रामसभाओं की रजामंदी ली जाए

3) वर्ष 2009 के बाद वन-भूमि के इस्तेमाल में बदलाव के सभी मामलों पर पुनर्विचार किया जाए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे वनाधिकार कानून के अनुरूप हैं वनाधिकारों की अनदेखी नहीं की गई और ग्रामसभाओं से समुचित अनुमति ली गई हैवनाधिकार कानून के उल्लंघन और वन-भूमि के इस्तेमाल से संबंधित पर्यावरण मंत्रालय के 2009 के आदेश के उल्लंघन के मामलों में जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए

4) टाइगर रिज़र्व की सभी अधिसूचनाओं पर पुर्विचार किया जाए और इस बात की जाँच की जाए कि क्या वे सभी वनाधिकार कानून और वन्यजीव संरक्षण कानून का पालन करते हैं कानूनों और कानूनी प्रक्रियाओं का उल्लंघन करने वाली अधिसूचनाओं को रद्द किया जाए और इसके लिए दोषी लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए.

5) गैरकानूनी ढंग से विस्थापित लोगों को उनकी पुरानी जगह पर बहाल किया जाए और उनके नुकसान की भरपाई की जाए.

आप क्या कर सकते हैं?

- अपने इलाके में ग्रामसभा को इस बात के लिए राजी करें कि वे वनों और वन-भूमि पर अपने कानूनी अधिकार का दावा करते हुए प्रस्ताव पारित करें, प्रतिपूरक वनीकरण कोष कानून को वापस लेने और प्रतिपूरक वनीकरण कोष का इस्तेमाल उनके जरिए ही हो इसकी की माँग करें.

- इस प्रस्ताव की कॉपी मुख्यमंत्री, राज्य-स्तरीय वनाधिकार मॉनिटरिंग कमिटी और वन विभाग, जनजातीय कार्य मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजें.

- सांसदों, विधायकों और विपक्षी पार्टियों पर दबाव बनाएँ कि प्रतिपूरक वनीकरणकोष कानून को वापस लिया जाए और वर्तमान रूप में उसके अमल को रोका जाए.
- प्रतिपूरक वनीकरणकोष कानून से नुकसान के मुद्दे पर समुदाय के भीतर जमत तैयार करें और उन्हें इसकी वापसी के लिए गोलबंद करें.

2017-11-12 8:20 GMT+05:30 Dhruva Narayan <dhruva.daanish@gmail.com>:
truncated version for your information only. Attachment is failing, will try slightly later to send the attachment.

गैर-जनतांत्रिक प्रतिपूरक वनीकरण कोष कानून(कैम्पा) के आलोक में वनाधिकार की रक्षा कैसे करें!

प्रतिपूरक वनीकरण और नया कैम्पा कानून

भारत में "विकास" के नाम पर क़ानूनी तौर पर जंगलों की कटाई संगठित ढंग से चलती रही है. वनाधिकार कानून के मुताबिक़ जिन जंगलों पर आदिवासियों और अन्य वनवासियों का कुदरती हक़ है उन्हें उनकी रजामंदी के बगैर और उनके हकों का लिहाज किए बगैर कार्पोरेट व्यवसायी घरानों को सौंप दिया जाता है.

प्रतिपूरक वनीकरण एक वैधानिक प्रक्रिया है जिसके जरिए इस बात की गारंटी की जाती है कि खनन, उद्योग या बुनियादी ढांच के निर्माण से जंगलों के नुकसान की भरपाई की जा सकेइसके लिए जंगल के बाहर सामुदायिक या निजी भूमि पर पौधे लगाए जाते हैं या उजड़े जंगलों को फिर से वृक्षारोपण के जरिए बसाया जाता है इसके लिए सरकार जंगल क्षेत्र का दूसरे काम के लिए इस्तेमाल करनेवाली कंपनियों और सरकारी विभागों से प्रतिपूरक वनीकरण की कीमत के साथ-साथ ऐसे परिवर्तित भूखंड के शुद्ध वर्तमान मूल्य और कई तरह के करों की भी वसूली करती है

इस तरह से उगाही गई राशि, जो आज लगभग 42,000 करोड़ रुपए है, को ही नए प्रतिपूरक वनीकरण कानून के तहत प्रतिपूरक वनीकरण कोष का नाम दे दिया गया है. नए कानून के तहत यह राशि वन विभाग के नौकरशाहों को दे दी जाएगी. नतीजा यह होगा कि जंगलों और वनवासी समुदायों के जीवन पर इन नौकरशाहों की पकड़ और मजबूत हो जाएगी. इस तरह से प्रतिपूरक वनीकरण की पूरी प्रक्रिया वनाधिकार कानून का खुला उल्लंघन है और वनवासी समुदायों के विस्थापन-पलायन को ही बढ़ावा देगी. देखा गया है कि प्रतिपूरक वनीकरण कोष का इस्तेमाल अक्सर प्रतिपूरक वनीकरण और वन-वन्यजीव संरक्षण के नाम पर समुदाय की जमीन को भी हड़प लेने के लिए किया जाता है.

केंद्र सरकार 2017 के अंत तक कैम्पा कानून की नियमावली तय करना चाहती है ताकि कोष का सुचारू इस्तेमाल हो सके. वन विभाग इस कोष का इस्तेमाल वृक्षारोपण, वन संवर्धन, वन प्रबंधन, संरक्षण, बुनियादी ढाँचे खड़ा करने, उनके रख-रखाव और ऐसी ही दूसरी गतिविधियों के लिए करेगा.

ओडिशा, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों में वृक्षारोपण के लिए आदिवासियों और वनवासी समुदायों की सामुदायिक या अर्जित भूमि की पहचान हो चुकी हैवन विभाग ने कई जगहों पर तिजारती या विदेशी मूल के पेड़पौधे लगाए हैं और उनकी घेराबंदी कर लघु वनोपजों तक परंपरागत पहुँच पर रोक लगा दी है वनाधिकार कानून के प्रावधानों का खुला उल्लंघन करते हुए इनके लिए ग्राम सभा से रजामंदी नहीं ली गई बल्कि उन्हें इस बारे में बताया भी नहीं गया. जंगल प्रशासन के जनतांत्रिक तौस्तरीकों को ताक पर रखते हुए इन योजनाओं को संयुक्त वन प्रबंधन कमिटियों वन सुरक्षा समितियों आदि के जरिए अमल में लाया जा रहा है.

इस तरह इस बात के भरपूर संकेत मिल रहे हैं कि नया प्रतिपूरक वनीकरण कानून वनाधिकार कानून और पेसा जैसे कानूनों की अनदेखी को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देगा क्योंकि ये कानून जंगलों के रखरखाव की जिम्मेदारी वन विभाग के बदले ग्रामसभा को देते हैं. इस तरह से रहे-सहे वनाधिकारों की घोर उपेक्षा होगी, उनका खुला उल्लंघन होगा

प्रतिपूरक वनीकरण कानून क्या है?

बाँध, खनन, रक्षा, सिंचाई, राजमार्गों के निर्माण जैसी विकास परियोजनाओं के लिए जंगलों की कटाई औपनिवेशिक काल से ही अबाध रूप से होती रही है. इस प्रक्रिया में वनवासियों के अधिकारों को हमेशा ही नजरअंदाज किया गया है. आजादी के बाद जंगलों की कटाई का यह सिलसिला और तेज होता गया. वर्ष 1980 में वनों के संरक्षण के मकसद से वन संरक्षण कानून बनाया गया जिससे कि वन भूमि का गैर वानिकी कामों के लिए इस्तेमाल को नियमित किया जा सके और उस पर लगाम लगाई जा सकेखैर, यह सिलसिला रुका नहीं और गैर-वानिकी गतिविधियों के लिए वन-भूमि का इस्तेमाल वन-संरक्षण कानून के तहत भी तेजी से जारी रहा. वर्ष 2002 में सर्वोच्च न्यायालय ने एक अलग कोष बनाने का आदेश दिया जिसमें उपभोक्ता एजेंसियों से प्रतिपूरक वनीकरण, अतिरिक्त प्रतिपूरक वनीकरण और दंडात्मक प्रतिपूरक वनीकरण के नाम पर उगाहे गए पैसे को जमा किया जाएगा. वर्ष 2006 में कोर्ट के एक अन्य फैसले से वनों के मूल्य की अवधारणा सामने आई. कोर्ट ने आदेश दिया कि पर्यावरण एवं वन मत्रालय से वैधानिक अनुमति के लिए आवेदन करने वाली एजेंसियों को वन-भूमि के ग़ैर-वानिकी कार्यों के लिए इस्तेमाल के एवज में जंगल के शुद्ध वर्तमान मूल्य अदा करना होगा, जो प्रतिपूरक वनीकरण के लिए दी जाने वाली राशि से अलग होगा. किसी जंगल का शुद्ध वर्तमान मूल्य में उस जंगल की समस्त पारिस्थितिकी सेवाओं का योग शामिल है.कंचन चोपड़ा कमिटी ने यह मूल्य 4.38 लाख-10.43 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर तय किया था. कमिटी ने यह भी सुझाया था कि प्रतिपूरक वनीकरण के लिए जमा की जाने वाली राशि का बड़ा हिस्सा पंचायतों को दिया जाना चाहिए और बाकी का हिस्सा केंद्र और राज्य के बीच बाँट दिया जाए.

शुद्ध वर्तमान मूल्य की सबसे बड़ी कमी यह है कि इसमें वनवासी समुदायों के वनाधिकारों की ऐतिहासिक वंचन को ध्यान में नहीं रखा जाता. दरअसल, वन पारिस्थिकी के साथ उनके रिश्ते को पैसे में नहीं आँका जा सकता. जंगल का मौद्रिक मूल्य निर्धारित करने और तथाकथित प्रतिपूरक वनीकरण की अवधारणा इस बात को नजरअंदाज करती है कि कुदरती जंगल व्यवस्था को पारिस्थितिकी और सांस्कृतिक तौर पर फिर से नहीं बनाया जा सकता एक बार जब जंगल कट जाता है उसे पैसे या वृक्षारोपण के जरिए नहीं बसाया जा सकता.

वर्ष 2016 में पारित प्रतिपूरक वनीकरण कानून प्रतिपूरक वनीकरण कोष के प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्राधिकार के गठन का प्रस्ताव करता है. यह वनाधिकार कानून के तहत ग्रामसभा को दिए गए अधिकारों का खुला उल्लंघन है क्योंकि यह उन्हें प्रतिपूरक वनीकरण कोष संबंधी निर्णय और अमल की प्रक्रिया से पूरी तरह बाहर कर देता है.

विभिन्न केंद्रीय मंत्रालय और राज्य सरकारें जलवायु परिवर्तन. सामुदायिक विकास और वन संरक्षण के लिए तरह-तरह के कार्यक्रम बना रही हैं. मसलन, ग्रीन इंडिया मिशन और ओडिशा का आमा जंगल योजना. इन सबके लिए प्रतिपूरक वनीकरण कोष से धन उपलब्ध कराया जा रहा है. वन विभाग द्वारा निर्मित और नियंत्रित वन संरक्षा समिति, इको-डेवलपमेंट कमिटी जैसे संयुक्त वनप्रबंधन संस्थाओं के जरिए प्रतिपूरकवनीकरण की राशि का इस्तेमाल विभिन्न गतिविधियों के लिए किया जा रहा है. हालाँकि 2006 में वनाधिकार कानून पारित होने के बाद ये संस्थाएँ कानूनसम्मत नहीं रह गई हैं

समुदायों पर असर

प्रतिपूरक वनीकरण कोष कानून वन महकमे के हाथों गैरकानूनी हथियार के समान है. इसके जरिए --

- वनवासी समुदायों को उनके वनाधिकार से वंचित किया जा रहा है
- वनाधिकार कानून के तहत स्वीकृत वनाधिकारों का खुला उल्लंघन हो रहा है
- ग्रामसभाओं के अधिकारों की अनदेखी की जा रही है जिन पर वनों के संरक्षण और संवर्धन की जिम्मेदारी है
- उन जंगलों से वनवासी समुदायों को अपनी जमीन से बेदखल किया जा रहा है जिन पर उनका अधिकार है और वृक्षारोपण के नाम पर भूमि के इस्तेमाल के स्वरूप को बदला जा रहा है

- जिस सामुदायिक जमीन को वनवासी समुदाय परंपरागत रूप से अपनी आजीविका के लिए इस्तेमाल कसे रहे हैं उस पर भी वन विभाग कब्जा करता जा रहा है.

- वनाधिकार कानून के लाभों से वनवासी समुदायों को वंचित किया जा रहा है और इस प्रकार सदियों से जारी ऐतिहासिक अन्याय को प्रश्रय दिया जा रहा है.

- प्रतिपूरक वनीकरण कोष में पैसा देकर वन-भूमि के गैर-वानिकी इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जा रहा है.

- टीक, बबूल, यूकेलिप्टस जैसे तिजारती वृक्षों को बड़े पैमाने पर बढ़ावा दिया जा रहा है इसके लिए वन-भूमि के साथ ही साथ निजी और सामुदायिक जमीनों को भी हड़पा जा रहा है.

- जंगलों की अंधाधुंध कटाई और बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण से पारिस्थितिकी खतरे में पड़ जाएगी जिसका उल्टा असर जैविविधता, उर्वरता और मिट्टी के स्वभाव पर पड़ेगा और पानी की कील्लत बढ़ेगी.

- जंगलों से फल, कंद-मूल और अन्य वनोपज जो वनवासी समुदायों के भोजन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और कुपोषण और भुखमरी की रोकथाम में मदद करते हैं उन तक पहुँच बाधित होने से उनके खान्पान पर संकट गहराया है.

- इमारती लकड़ी के अलावा अन्य वनेपजों के नष्ट हो जाने या उन तक पहुँच के बाधित होने से वनवासियों की आजीविका खतरे में पड़ गई है.

- इसका सबसे ज्यादा असर औरतों पर पड़ा है क्योंकि वन से मिलने वाले भोज्य पदार्थों, उपचारी पौधों, बीजों, पत्तियों को वे ही जमा करती हैं.

- बाघ परियोजनाओं और अन्य संरक्षित इलाकों से लोगों को विस्थापित कर दूसरी जगहों पर बसाया जा रहा है जो कि 2006 के वन्यजीव संरक्षण कानून केभी खिलाफ है.

- वनवासी समुदाय परंपरागत रूप से वनों का संरक्षण और रखरखाव करते रहे हैं, उनसे उनके यह हक छीना जा रहा है.

हमारी माँग क्या है?

1) प्रतिपूरक वनीकरण कोष कानून को वापस लिया जाए और प्रतिपूरक वनीकरण कोष का सारा पैसा वनाधिकार कानून के तहत गठित ग्रामसभाओं को सौंप दिया जाए

2) प्रतिपूरक वनीकरण कोष से शुरू होने वाले हर गतिविधि के लिए ग्रामसभाओं की रजामंदी ली जाए